कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

पत्रांक–3148/मी0क्षे0/33/मीरजापुर, दिनांक, मार्च, 21 2023

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

विषयः– जनपद–सोनभद्र के ओबरा वन प्रभाग में 400 के0वी0 ओबरा ली0लो0 विद्युत पारेषण लाईन में प्रभावित 7.5118हे0 अरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के लीज नवीनीकरण के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या–एफपी/यूपी/ट्रांस/44753 /2020)

सन्दर्भः– उ0प्र0 शासन का पत्र संख्या–पी–08 /81–2–2023– 800(04)/ 2023 दिनांक–27.01.2023 एवं प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा के कार्यालय पत्रांक–1926/ओबरा/15भू0ह0 दिनांक 06.03.2023

महोदय,

विषयक प्रकरण में संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करें। प्रश्नगत प्रकरण में उ0प्र0 शासन के कार्यालय के संदर्भित पत्र दिनांक–27.01.2023 द्वारा इंगित कमियो का निराकरण किये जाने का निर्देश दिये गये है। उक्त के अनुपालन मे प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा वन प्रभाग, ओबरा ने अपने कार्यालय के पत्रांक–1926/ओबरा/15भू0ह0 दिनांक 06.03.2023 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा कमियों का निराकरण कर निर्धारित टेबुलर फार्म मे निम्न प्रकार इस कार्यालय को प्रेषित किया है:–

क0 सं0	आपत्ति	अनुपालन आख्या
1	2	3
1	प्रस्ताव में पूर्व लीज अवधि की कोई देयता अवशेष तो नहीं है ? क्या शर्तो का अनुपालन पूर्ण किया गया है ?	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा ने अवगत कराया गया है कि प्रस्ताव में पूर्व लीज अवधि की कोई देयता अवशेष नहीं है। प्रश्नगत लीज अवधि दिनांक–01.10.2019 को समाप्त हो चुकी है। लीज समाप्ति के पश्चात भी नये सर्किल दर के अनुसार प्रस्तावक विभाग द्वारा वर्ष 2022–23 तक के लीज रेंट का भुगतान किया जा चुका है। प्रस्तावक विभाग द्वारा सभी शर्तो का अनुपालन किया गया है।
2	पूर्व लीज में 19.968हे0 वन भूमि (20 वर्षो) हेतु उल्लिखित है, जबकि नवीनीकरण के समय 7.5118हे0 वनभूमि 37 वर्षो की लीज पर मांगे जाने का औचित्य क्या है ? स्पष्ट किया जाय।	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा ने अवगत कराया गया है कि 400 के0वी0 ओबरा ली0लो विद्युत पारेषण लाईन का पूर्व में स्वीकृत लीज में धारा 4 में विज्ञापित भूमि को वन भूमि मानते हुए कुल 19.968हे0 क्षेत्र का प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित किया गया था, तत्कम में भारत सरकार/उ0प्र0 सरकार द्वारा 19.968हे0 क्षेत्र को 20 वर्ष के लिए लीज पर दिया गया। अवगत कराना है कि धारा 4 में विज्ञापित क्षेत्र के सम्बन्ध में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक–20.11.1986 द्वारा दिये गये निर्देश के कम में हुए सर्वे सेटिलमेन्ट की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात विज्ञप्ति संख्या–1136/81-2-2020-20(5)-2019 दिनांक 15.06.2020 द्वारा ग्राम–बिल्ली मारकुण्डी में धारा 20 की अधिसूचना निर्गत किया जा चुका है। ग्राम–बिल्ली मारकुण्डी में धारा 20 की अधिसूचना के अनुसार 400 के0वी0 ओबरा ली0लो विद्युत पारेषण लाईन में ग्राम–बिल्ली मारकुण्डी में 7.5118हे0 वन भूमि प्रभावित हो रहा है। पुष्टि हेतु संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट की प्रति संलग्न है। प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि 400 के0वी0 जौनपुर ओबरा लाईन के निर्माण में 400 के0वी0 उपकेन्द्र जौनपुर से चोपन तक पारेषण लाईन मैं0 अडानी द्वारा निर्माण किया गया है। उक्त लाईन में इस 400 के0वी0 ओबरा ली0लो0 विद्युत पारेषण लाईन को जोड़ा गया है। मैं0 अडानी द्वारा निर्मित किये गये पारेषण लाईन में

		लीज 36 वर्षो के लिए प्रकियाधीन है। अतः उपरोक्त दृष्टिगत 400 के0वी0 ओबरा लीलो विद्युत पारेषण लाईन का लीज नवीनीकरण 37 वर्षो के लिए प्रस्तावित किया गया है।
3	समतुल्य गैर वन भूमि (प्रस्तावित वन भूमि) उपलब्ध कराये जाने की वचनबद्धता स्पष्ट नहीं है ?	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा ने अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा समतुल्य गैर वन भूमि उपलब्ध कराये जाने की वचनबद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया गया है। जिसकी प्रति संलग्न है।
4	प्रस्तावित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग पर दिये जाने हेतु भी शर्तें अधिरोपित की जायेगी, उसका अनुपालन किये जाने की वचनबद्धता उपलब्ध करायी जाय।	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा ने अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रस्तावित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग पर दिये जाने हेतु अधिरोपित शर्त का अनुपालन करनें हेतु वचनबद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया गया है। जिसकी प्रति संलग्न है।
5	प्रस्तावितस्थल इको–सेन्सटिव जोन की सीमा में न होने का स्पष्ट प्रमाण पत्र (दूरी का अंकन किया जाय) उपलब्ध कराया जाय।	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा ने अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित स्थल इको–सेन्सटिव जोन की सीमा से 01 किमी0 से बाहर होने का प्रमाण पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया है। छायाप्रति संलग्न है।
6	प्रस्तावित वन भूमि 20 वर्षो हेतु ही दिया जाना है, से सम्बन्धित वचनवद्धता उपलब्ध करायी जाय।	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा ने अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित वन भूमि 37 वर्षो के लिए किया जाय। जिसके सम्बन्ध में लीज अवधि प्रमाण पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया है। जिसकी प्रति संलग्न है।
7	पृष्ठ 12 पर प्रस्तावित वन भूमि 7.518है0 है, जबकि अन्य प्रमाण पत्रों पर 7.5118है0 है ? स्पष्ट किया जाय।	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा ने अवगत कराया गया है कि प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 12 पर त्रुटिवश 7.518है0 अंकित हो गया है जबकि लीज नवीनीकरण में 7.5118है0 क्षेत्र प्रस्तावित है, जो कि अन्य प्रमाण पत्रों पर उल्लेख किया गया है।
8	पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक–10.01.2023 द्वारा गठित परियोजना जांच समिति की संस्तुति के साथ प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाय।	इस बिन्दु के अनुपालन इस स्तर से वांछित नहीं है।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा द्वारा प्रश्नगत बिन्दु की प्रेषित आख्या एतद्सह संलग्न कर आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(रमेश चन्द्र झा)
मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

सख्या–3148/अ/समदिनांक।

प्रतिलिपि– प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा को उनके कार्यालय पत्रांक–1926/ओबरा/15भू0है0 दिनांक 06.03.2023 के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(रमेश चन्द्र झा)
मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर